

2016 निर्वाचन समिति उपक्षेत्र चुनाव पर संक्षिप्त जानकारी

मतदान की तारीख और घंटे

- 11 दिसंबर 2016 (रविवार)
- सुबह 7:30 से रात के 10:30 बजे तक (सिवाय दण्ड केन्द्रों में स्थित मतदान केन्द्रों पर जहां मतदान का समय सुबह 9:00 से दोपहर 4:00 बजे तक होगा)

नामांकन अवधि

- 8 से 14 नवंबर 2016

नामांकन फार्म

- जिला कार्यालय, निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों तथा 10/F, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai या युनिट 2301-2303, 23/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong पर स्थित पंजीकरण और चुनावी ("REO") कार्यालय में नामांकन फार्म उपलब्ध हैं। फार्म को REO की वेबसाइट (www.reo.gov.hk) या समर्पित वेबसाइट (www.elections.gov.hk) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

मतदान

- पंजीकृत मतदाता या अधिकृत प्रतिनिधि ("AR") निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं।
- हर मतदाता या AR को एक नामित मतदान केन्द्र के लिए आवंटित किया जाएगा।
- मतदान केन्द्र को दर्शाने वाला एक पोल कार्ड मतदान के कम से कम 5 दिन पहले संबंधित मतदाताओं या AR को जारी किया जाएगा।
- सभी साधारण मतदान केन्द्रों पहियेदार कुर्सी (व्हीलचेयर) के उपयोगकर्ताओं या चलने-फिरने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है।
- यदि मतदाता या AR को मतदान पर जानकारी के लिए व्याख्या सहायता की जरूरत है तो, वे अल्पसंख्यक जातियों के लिए केन्द्र ("CHEER") पर निम्नलिखित हाटलाइन पर काल कर सकते हैं जो 28 नवंबर 2016 से प्रभावी होगी।

भाषा	हाटलाइन नंबर
बहासा इंडोनेशिया	3755 6811
तागालोग	
थाई	
हिन्दी	3755 6822
नेपाली	
उर्दू	3755 6833
पंजाबी	

मतदान कैसे करें?

- अपने समर्पित मतदान केन्द्र पर अपना हांगकांग पहिचान कार्ड लाएँ और मतदान कर्मचारियों को दिखाएँ।
- आपको अपने पात्रता अनुसार एक या दो अलग मतपत्र (मतपत्रों), उसके तदनुसार लिफाफा (लिफाफे) और एक पेपर बोर्ड दिया जाएगा।
- अपने मतपत्र (मतपत्रों) को मतदान कक्ष के अंदर कक्ष में बंधी हुई काली कलम से अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने दिए हुए घेरे पर छायांकन कर के निशान बनाएं। संबंधित उपक्षेत्र या उप-उपक्षेत्र में निर्धारित सीटों की संख्या (ये संख्या मतदान पत्र पर संकेत की जाएगी और समर्पित वेबसाइट पर “Facts and Figures” के तहत सूचीबद्ध होगी) से ज्यादा वोट ना करें।
- अगर मतपत्र में निशान लगाते समय आप कोई गलती करते हैं या अनजाने में मतपत्र को खराब करते हैं, तो आप मतपत्र को प्रिसाइडिंग अधिकारी को वापस करें और उसकी जगह एक दूसरा मतपत्र देने के लिए कहें।
- मतपत्र पर निशान लगाने के बाद:
 - (a) जिन मतपत्र (मतपत्रों) पर उम्मीदवारों के नाम के **दो** काँलम हैं (यदि कोई) - मतपत्र (मतपत्रों) को **ना** मोड़ें;
 - (b) जिन मतपत्र (मतपत्रों) पर उम्मीदवारों के नाम के **चार** काँलम हैं (यदि कोई) - कृपया मतपत्र (मतपत्रों) को बिन्दुरेखा पर **एक बार** मोड़ दें ताकि चिन्हित हिस्सा अन्दर की तरफ हो।

चिन्ह लगाया हुआ मतपत्र को मतदान केन्द्र से उपलब्ध किया गया लिफाफे में डाल दें और लिफाफे में दर्शाई गई दिशा अनुसार मतपत्र के साथ लिफाफे को मतपेटिका में डाल दें। लिफाफे को ना मोड़ें।

स्वच्छ चुनाव

भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग द्वारा लागू चुनाव (भ्रष्ट और अवैध बर्ताव) अध्यादेश (क्याप. 554) अनुसार, एक मतदाता को यह **नहीं करना चाहिए**:

- किसी भी व्यक्ति से चुनाव में मतदान नहीं करने के लिए , या एक विशेष उम्मीदवार या विशेष उम्मीदवारों के लिए मतदान करने या नहीं करने के लिए किसी भी फायदा (पैसा, उपहार, आदि सहित), खाना, पीना या मनोरंजन को मांगना या स्वीकारना;
- किसी के मतदान निर्णय को प्रभावित करने के लिए जोर या दबाव का प्रयोग करना या प्रयोग करने के लिए धमकाना;
- उसके/ उसकी अपात्रता के बारे में जानते हुए भी मतदान पर वोट डालना; या जानबूझकर या बिना विचारे झूठी या भ्रामक जानकारी निर्वाचन अधिकारी को देना।